an>

Title: Regarding export of onions.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक महत्वपूर्ण इश्यु उठाने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं हमेशा किसानों को रुलाने वाली प्याज के बारे में बोलता रहा हूं कि उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दो हजार रुपये देना चाहिए। यह सवाल मैं हमेशा उठाता रहा हूं। आज भी आपके माध्यम से मैं सरकार से विनती करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लासलगांव एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी है। मेरे क्षेत्र में किसान प्याज का उत्पादन काफी मात्रा में करते हैं। परंतु कुछ सालों से किसानों को प्याज की फसल की उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है और प्याज काफी मात्रा में खराब हो रहा है, जो देश के राजस्व की हानि है। प्याज को खराब होने से बचाने के लिए इसका निर्यात करना एवं निर्यात को बढ़ावा दिया जाना किसानों के हित में होगा। देश से प्याज के निर्यात को बढ़ावा दिये जाने की प्रक्रिया में वर्तमान समय में प्याज का निर्यात करने में पांच प्रतिशत अनुदान धनराशि प्रोत्साहन के रूप में दी जा रही है। जो एक क्विंटल प्याज के निर्यात से दो सौ रुपये से चार सौ रुपये मिलता है। प्याज का अपने देश में सरप्लस उत्पादन हो रहा है। इसके लिए प्याज निर्यात अनुदान धनराशि के पांच प्रतिशत से बढ़ा कर 15 प्रतिशत तक किया जाए एवं निर्यात अनुदान धनराशि उपलब्ध कराने की अंतिम तारीख, जो 31 मार्च, 2017 है, उसको बढ़ाने की मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ। आपके माध्यम से मैं फिर से सरकार से विनती करूंगा कि निर्यात अनुदान धनराशि को पांच प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक किया जाए एवं जो 31 तारीख तक निर्यात की अंतिम तारीख है, उसको भी बढ़ाया जाए। यह मेरी विनती है।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री शरद त्रिपाठी को श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।